एलन बेरी एंड कंपनी (पी) लिमिटेड

बनाम

यूनियन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली

5 जनवरी, 1971

[जे. एम. शेलट, सी. ए. वैद्यलिंगम और पी. जगनमोहन रेडडी, जेजे.]

मध्यस्थता अधिनियम (1940 का 10), धारा 30 – पंचाट को खारिज करना-- पंचाट स्पष्ट त्रुटिपूर्ण है-- क्या है।

निपटान महानिदेशक पत्राचार और बिक्री टिप्पणियों के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका की कम्पनी को माल अधिशेष वाहनों और अन्य दुकानों से युक्त सामग्री को भेजा गया। अनुबंधों के तहत वितरित किए जाने योग्य वाहनों की संख्या और गुणवत्ता दोनों के संबंध में पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न होने के बाद अनुबंध के प्रावधान 13 के अनुसार मध्यस्थता के लिए भेजा गया था। विवादों में दावे और जवाब दावे शामिल थे और मध्यस्थ ने अपीलार्थी को अनुमति दी कि एक दावे की राशि को घटाने के के लिए अपीलार्थी प्रत्यर्थी को 34,70,226.50 राशि के भुगतान के लिये उत्तरदायी माना और साथ ही 5,40,544,00. खर्चा भी अधिरोपित किया।

यह पंचार्ट जिला न्यायाधीश के न्यायालय में दायर किया गया था और अपीलार्थी ने इसे विभिन्न आधारों पर खारिज करने का आवेदन किया था। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी द्वारा दावा किए गए कुछ मामलों के संबंध में मध्यस्थ के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है साथ ही

पंचार्ट के संबंध मे यह भी छूट दी गई कि अनुसूची मे अंतरविलित सामग्री की कीमत को खर्चे मे पुनर्विचार कर समाहित किया जावे। उच्च न्यायालय द्वारा जिला न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि की गयी।

न्यायालय में अपील में यह भी तर्क दिया गया कि पंचाट को रदद किया जाना चाहिए क्योंकिः (1) बेचान की संविदा त्रुटिपूर्ण थी जो पंचाट मे प्राथमिक तौर पर ही दिखाई दे रही थी। (2) बिक्री के दायरे से संबंधित कई दस्तावेजों पर विचार नहीं किया गया था। (3) मध्यस्थ अपने अधिकार क्षेत्र से परे चला गया जब प्रत्यर्थी को क्षतिपूर्ति के तौर पर इस अधार पर पंचाट पारित किया गया कि अपीलार्थी ने कुछ वाहन हटा दिये है। (4) मध्यस्थ ने सुलहकर्ता के रूप मे अनुमान के आधार पर मामले को तय किया। (5) मध्यस्थ ने आधारभूत भूमि किराया बिना किसी साक्ष्य के तय कर दिया। (6) पंचाट का खर्चा पूरी तरह विसंगतिपूर्ण था।

अभिनिर्धारित किया: (1) जब पक्षकार अपने बीच के विवाद को तय करने में न्यायाधीश के रूप में अपने स्वयं के मध्यस्थ का चयन करते हैं, तब वे यदि कानून और तथ्यों के आधार पर यदि निर्णय अच्छा हो तो किसी प्रकार की आपत्ति नहीं कर सकते है। और तब भी जब कोई मध्यस्थ कानून या तथ्यों के संदर्भ मे मामलों को निर्धारित करने में गलती करता है। ऐसी त्रुटि पंचाट के अवलोकन से या इसके साथ जोड़े गए दस्तावेज़ में या इसमें शामिल किए गए दस्तावेज़ में दिखाई नहीं देती हो ताकि इसका हिस्सा बन सके, पंचाट न तो लघु किया जाएगा और ना ही खारिज।

अनुबंध मे या इसका कोई खंड पंचाट में शामिल किया गया है, यह पंचाट के परीक्षण का बिन्दु है। परीक्षण यह है कि क्या पंचाट अनुबंध के शब्दों पर निर्णीत किया गया है और यदि उन्होंने ऐसा किया है तो कहा जा सकता है कि उन्होंने अनुबंध या प्रासंगिक खंड को निहित रूप से शामिल कर लिया है लेकिन पंचाट में अनुबंध को केवल सामान्य संदर्भ को शामिल करने के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। [288 एफ-एच; 289 ए]

भारत संघ बनाम बंगो स्टील फर्नीचर प्रा. लि. लिमिटेड [1967] 1 एस. सी. आर. 324 के तहत

एलनबेरी एंड कंपनी बनाम यूनियन

चैंपसी भरा एंड कंपनी बनाम जीवराज बालू स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी लिमिटेड

[1923] ए. सी. 480 आवेदित।

केलेंटन बनाम डफ डेवलपमेंट कं. [1923] ए. सी. 395 और गियाकोमो कोस्टा फू एंड्रिया बनाम ब्रिटिश इटालियन ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड [1962] 2 ऑल ई.आर. 53,62 संदर्भित किया गया।

2 (क) वर्तमान मामले में विवाद यह है कि क्या बेचा गया था और इस बारे में कि क्या बिक्री टिप्पणियों के अतिरिक्त पश्चातवर्ती क्रम मे दिया गया स्पष्टीकरण या प्रत्यर्थी के विभिन्न अधिकारियों द्वारा दी गई योजनाएँ अनुबंध का हिस्सा थीं और प्रत्यर्थी पर बाध्यकारी थीं, ये दोनो ही बिन्दु मध्यस्थ को भेजे गये मध्यस्थ की कायर्वाही पक्षकारों पर बाध्यकारी है जब

तक कि उन्होंने कोई कानूनी प्रस्ताव नहीं रखा हो जैसे कि पंचाट के आधार पर जो पंचाट निर्मत किया गया वह त्रुटिपूर्ण रहा।

पंचाट से पता चलता है कि मध्यस्थ ने बिक्री के अलावा मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों और उनके अधिवक्ता के दारा पेश किये गये दलील पर भी विचार किया। इसलिए यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि कई दस्तावेजों पर विचार नहीं किया गया। [291 ई-एफ; 292 ई-एच]

(ख) मध्यस्थ के द्वारा कानूनी को स्पष्ट करते हुए संदर्भित प्रश्नों पर यह आश्वासन भी दिया गया कि बिक्री की तारीखों के बाद जो आश्वासन दिए गए वे प्रत्यर्थी पर बाध्यकारी नही थे और ना ही बिक्री को प्रभावित कर सकते है बल्कि यह विदित बिन्दु निकाला गया कि जिस प्रश्न को उसे निर्णीत करने के लिए भेजा गया है वह बिन्दु उन्होनें पंचाट में शामिल किया या इसके हिस्से को एक दस्तावेज बनाया इसका निर्माण पंचाट का आधार था। यदि ऐसे मामले में कोई त्रुटि थी तो यह नहीं कहा जा सकता था कि न्यायालय को उसके समक्ष रखे गये विभिन्न दस्तावेजों को शामिल ना करते हुए पंचाट जारी किया हो।[293 बी-ई]

(3) एक बार तय होने के पश्चात मध्यस्थ यह नही कह सकता कि अपीलार्थी कंपनी उन अधिकृत वाहनो को रखने के लिए अधिकृत ना हो जिन्हे उसने पूर्व मे हटा दिया था, मध्यस्थ को पक्षकारों के मध्य न्याय करने के लिए ऐसा आदेश देना था या तो अपीलार्थी या तो उन्हें वापस करदे या उनके मूल्य का क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगा। चूँकि समय व्यतीत

होने के कारण पहला उपाय प्रभावकारी नही रहा, अतः दूसरा एकमात्र स्पष्ट उपाय था। सामान्य शर्तों का खंड 13 इन शर्तों के तहत या इस अनुबंध के संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी प्रश्नों या विवादों के मध्यस्थता के संदर्भ में है, और ये शब्द व्यापक। इसलिए मध्यस्थ ने मुआवजे को प्रतिवादी के जवाब दावे को स्वीकार करने में अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन नही किया है। [295 डी-ई]

(4) केवल इसलिए कि मध्यस्थ ने यह माना कि अपीलार्थी उसके द्वारा दावा किए गए कुछ वाहनों के लिए हकदार नहीं था, फिर भी अधिकारियों ने बिना विवरणी मे शामिल हुए उनमें से एक बड़ी संख्या को वितरित किया था, विस्तृत टिप्पणी किये बगैर यह नही कहा जा सकता था कि उसने बिना सबूत के काम किया या उसने मामले में बिना एक सुलहकर्ता के रूप में व्यवहार किया एवं अपनी टिप्पणियाँ संक्षिप्त तौर पर संकटापन्न आधारों पर की हों विशेष रूप से जब अपीलार्थी ने प्रासंगिक साक्ष्य को रोक दिया जो कि उसके कब्जे में था। [296 ई-एफ]

(5) बिक्री के अनुबंधों के तहत अपीलार्थी भुगतान करने के लिए बाध्य तथा प्रत्यर्थी को भूमि किराया और अन्य शुल्क जो प्रत्यर्थी अपनी ओर से मालिकों को देने के लिए उत्तरदायी था। अपीलार्थी का मामला यह नही है कि प्रत्यर्थी ने अधिक राशि का दावा किया इसलिए इस तर्क में कोई वजन नही है कि मध्यस्थ ने बिना किसी साक्ष्य के भूमि किराया तय किया हो। [297 ए-सी]

(6) पक्षकारों द्वारा दावा की गई भारी राशि प्रस्तुत किए गए साक्ष्य की मात्रा और उस साक्ष्य को दर्ज करने और मामले पर बहस करने में बिताए गए दिनों की संख्या को ध्यान में रखते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि खर्च के मामले में मध्यस्थ ने बिना विवेक का प्रयोग किये किसी भी कानूनी प्रावधान का उल्लंघन अनुचित रूप से किया। [297 सी-डी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील नम्बर 2418/1966

विशेष स्वीकृति के तहत पंजाब उच्च न्यायालय सर्किट बैंच दिल्ली एफएओ अपील नम्बर 123-डी 1961 के आदेश 19 फरवरी 1963 को चुनौती दी गयी।

अधिवक्तागण आर.एल. अग्रवाल, के.एल.मेहता, एसके. मेहता, पी. एन चडडा, एमजी गुप्ता एवं केआर नागराज- अपीलार्थी की ओर से

अधिवक्तागण डॉ. एलएम सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री बद्री दास शर्मा अधिवक्ता, श्री एस.पी. नायर- प्रतिवादी की ओर से

न्यायालय का निर्णय इस प्रकार दिया गया कि

शेलट जे- इस अपील के द्वारा विशेष अनुमति के तहत अपीलकर्ता कंपनी की शुद्धता को चुनौती देती है। पंजाब उच्च न्यायालय के 19 फरवरी 1963 के फैसले में मध्यस्थ के 22 मार्च, 1958 के मध्यस्थ के पंचाट को रद्द करने से इन्कार कर दिया गया। यह पंचाट पिछले विश्व युद्ध के अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार द्वारा छोड़ी गई अधिशेष युद्ध सामग्री के

निपटान के मामले मे कंपनी और भारत संघ के बीच कुछ विवादों के संबंध में था। इन अधिशेष सामाग्रियों को यू.एस. सरप्लस स्टोर कहा जाता है जिसमे वाहन और अन्य स्टोर शामिल होते हैं। ऐसा कहा गया था कि इन्हें महानिदेशक निपटान द्वारा पत्राचार और बिक्री नोट्स के माध्यम से कंपनी को बेचा गया था। बिक्री के ये अनुबंध की सामान्य शर्तों (फॉर्म नम्बर 117) के अधीन थे। इन सामान्य शर्तों के खंड 13 में प्रावधान है कि इन शर्तों या अनुबंध की किसी विशेष शर्तों के तहत या इस अनुबंध के संबंध में

> "उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न या विवाद की स्थिति में उसे संदर्भित किया जाएगा। महानिदेशक द्वारा नामित एक मध्यस्थ का पंचाट और ठेकेदार द्वारा नामित एक मध्यस्थया उक्त मध्यस्थों के सहमत नहीं होने की स्थिति में पंचाट के लिए आकस्मिक लागत का आकलन मध्यस्थों के विवेक पर होगा।
>
> अनुबंध के तहत वितरित किए गए वाहनों की सामग्री और मात्रा दोनों के संबंध में पार्टियों के बीच विवाद उत्पन्न हुएउन्हें पहले उदाहरण मेंपार्टियों द्वारा नामित दो मध्यस्थों के पास भेजा गया और अंततः एक मध्यस्थ कोअपीलकर्ताकंपनी द्वारा विवादों को कुल मिलाकर नौ दावों में विभाजित किया गया। 6,73,34,500/- और सरकार

द्वारा कई प्रतिदावे मध्यस्थता के अंत में मध्यस्थ ने अपने उक्त फैसले से कंपनी द्वारा किए गए सभी दावों को खारिज कर दिया, सिवाय एक दावे के जिसके लिए उसने रुपये का पंचाट किया था। 6,94,000/- और भारत सरकार द्वारा दायर प्रतिदावों के संबंध मेंयह माना गया कि अपीलकर्ताकंपनी सरकार को सभी रुपये का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थी। 36,23,682.50/- और लागत रु.5,40,544/- परिणाम में कटौती के बाद अपीलार्थीकंपनी को दावा स्वीकृत किया गया। कंपनी को सरकार को 34,70,226.50 रुपये का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था।

मध्यस्थ द्वारा जिला न्यायाधीश, दिल्ली की अदालत में पंचाट दायर किया गया था और भारत **स** सरकार ने पंचाट के संदर्भ में एक डिक्री के लिए आवेदन किया था, कंपनी ने सेटिंग के लिए न्यायालय में आवेदन किया था ऐसा करने के लिए कई आधारों का आग्रह करते हुए पंचाट को खारिज करते हुए जिला न्यायाधीश ने एक विस्तृत निर्णय द्वारा पंचाट को रद्द करने से इन्कार कर दिया। हालाँकिउन्होंने माना कि अपीलकर्ता के दावे संख्या III (ए) के संबंध में पंचाट को स्पष्ट रूप से त्रुटि का सामना करना पड़ाऔर आगे कहा कि सरकार द्वारा किए गए प्रतिदावे II IV, V और VI संदर्भ में शामिल नहीं थेऔर परिणामस्वरूप मध्यस्थ के पास

उन पर जाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। हालाँकि पंचाट को रद्द करने से इन्कार करते हुएउन्होंने इसे उपरोक्त मदों पर पुनर्विचार करने और कंपनी को उसके दावे संख्या III (ए) के संबंध में बढ़ा हुआ मुआवजा दिए जाने की स्थिति में लागत की राशि के पुन: समायोजन के लिए भेज दिया। अपीलीय न्यायालय के फैसले से असंतुष्ट कंपनी ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की। भी कुछ प्रति आपत्तियाँ दायर की। उच्च न्यायालय ने अपील और प्रति आपत्तियों पर एक साथ सुनवाई की और अपने पूर्वोक्त निर्णय से अपील और प्रति आपत्ति दोनों को खारिज कर दिया और जिला न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखा।

इस दावे के समर्थन में कि पंचाट रद्द किया जा सकता है, कंपनी के अधिवक्ता ने हमारी स्वीकृति के लिए निम्नलिखित छह प्रस्ताव प्रस्तुत किये-

1. कि कंपनी द्वारा किए गए बिक्री के अनुबंधों को मध्यस्थ द्वारा गलत समझा गया और इस तरह की गलत व्याख्या पंचाट के चेहरे पर दिखाई देती है।

2. कि मध्यस्थ और उच्च न्यायालय,बिक्री का दायरा तय करते समय कई दस्तावेजों पर विचार करने मे विफल रहे।

3. सरकार के दावा संख्या VI और प्रतिदावा संख्या VI में मध्यस्थ ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य किया जबकि ये प्रश्न संदर्भ के दायरे में नहीं आते थे।

4. कि मध्यस्थ ने कानून के अनुसार कार्य नहीं किया लेकिन एक सुलहकर्ता के रूप में कार्य किया और अपने पंचाट को केवल अनुमानों पर आधारित किया।

5. कि सरकार को दिए गए ज़मीन के किराये पर उनका निष्कर्ष बिना किसी सबूत पर आधारि तथा।

6. कि सरकार को दी गई लागत पूरी तरह से अनुपातहीन थी।

इससे पहले कि हम इन प्रस्तावों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ें मध्यस्थता अधिनियम,1940 की धारा 30 के दायरे और उस धारा के अंतर्निहित सिद्धांतों का पता लगाना आवश्यक है। मध्यस्थता पंचाटों के मामलों में सामान्य नियम यह है कि जहां पार्टियां एक मध्यस्थ पर सहमत हो गई हैंजिससे घरेलू मंच के लिए कानून की अदालत विस्थापित हो गई है, उन्हें अच्छे या बुरे के लिए पंचाट को अंतिम रूप में स्वीकार करना होगा। ऐसे मामलों में पंचाट को माफ करने या रद्द करने के न्यायालय के विवेक का आसानी से प्रयोग नहीं किया जाएगा बल्कि यह सख्ती से एसएस में निर्धारित विशिष्ट आधारों तक ही सीमित रहेगा। अधिनियमके 16 और 30 बना ने सिद्धांत को इस प्रकार बताया:-

> "जहां किसी कारण या मतभेद के मामले को मध्यस्थ के पास भेजा जाता है, चाहे वह अधिवक्ता हो या एक आम आदमी, वह कानून और तथ्य दोनों के सभी प्रश्नों का एकमात्र और अंतिम न्यायाधीश होता है। इस नियम का

एकमात्र अपवाद है कि जहाँ मामला पंचाट भ्रष्टाचार या धोखाधड़ी का परिणाम है, वहाँ उसके लिए खेद व्यक्त किया जाना चाहिए। अब लगता है कि यह दृढता से स्थापित किया जाना है अर्थात जहाँ सवाल पंचाट के चेहरे परया पंचाट के साथ आने वाले और उसका हिस्सा बनने वाले कुछ कागजों पर उठते है।"

इस अवलोकन को हाल ही में भारत संघ बनाम बुंगो स्टील फर्नीचर प्रा. लिमिटेड में अनुमोदन के साथ किया गया था।

सिद्धांत यह है कि न्यायालय किसी पंचाट की जांच करते समय पंचाट के साथ जुड़े और उसका हिस्सा बनने वाले दस्तावेजों को देखेंगे। इस प्रकारयदि कोई मध्यस्थ पक्षकारों की दलीलों को संदर्भित करता है ताकि उन्हें पंचाट में शामिल किया जा सके तो न्यायालय उन पर विचार कर सकता है। हाला कि कुछ मामलों में न्यायालयों ने सिद्धांत को बढ़ाया और इस निष्कर्ष पर पंचाट को रद्द कर दिया कि अनुबंधहालांकि केवल संदर्भित किया गया थालेकिन इसके हिस्से के रूप में पंचाट में शामिल नहीं किया गया था, गलत व्याख्या की गई थी और इस तरह का गलत निर्माण पंचाट का आधार था। इस एसेर 1905 (2) केबी 184 माल के खरीदारों और विक्रेताओं के बीच विवाद यह था कि माल पर बीमा की पॉलिसी पर भुगतान की गई कुछ रकम का हकदार कौन था। इसे मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया गया था और मध्यस्थ ने अनुबंध पर रखे गए निर्माण के

आधार पर अपना निर्णय दिया अर्थात चूंकि अनुबंध के पक्ष " उसकी शर्तों के अनुसार "प्रिंसिपल थे इसलिए बीमा में उनके हित और दायित्व को परिभाषित किया गया था। चालान का मूल्य प्लस 5 को रद्द करने के लिए एक आवेदन पर अपील की अदालत ने माना कि चूंकि मध्यस्थ ने अनुबंध और उसकी शर्तों का उल्लेख किया था, इसलिए अनुबंध को देखना उचित थाऔर ऐसा करने परउसने पाया कि उसने अपना आधार बनाया था। निर्णय पूरी तरह से अनुबंध की शर्तों पर निर्भर करता है। यह भी पाया गया कि चूंकि अनुबंधयदि ठीक से समझा जाएतो निर्णय को उचित नहीं ठहराता, प्रथम दृष्टया पंचाट ख़राब था और रद्द किया जा सकता था। ऐसा ही एक दृष्टि कोण एफ आर अब शालोम ग्रेट वेस्टर्न (लंदन) गार्डन विलेज सोसाइटी लिमिटेड 1933 एसी 592 जहां पंचाट ने प्रासंगिक शब्दों और अनुबंध के खंड 30 और उन शब्दों के अर्थ पर कानून के निष्कर्ष को भी निर्धारित किया, लॉर्ड रसेल ने कहा कि चूंकि पंचाट ने अनुबंध को पढ़ा और खंड के प्रावधानों के संदर्भ में संदर्भित किया 30 इस प्रकार इसे पंचाट में शामिल किया गयाऔर फिर मध्यस्थ ने उस खंड पर जो निर्माण कियाउसे बतायान्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिए उस खंड को देखने का हकदार था कि क्या मध्यस्थ द्वारा रखा गया निर्माण गलत था।

1905 (2) KB 184 में निर्णय की शुद्धता को चैम्पसी भारा प्रिवी का उंसिल के समक्ष चुनौती दी गई थी। वी . जीवराज बल्लू स्पिनिंग एंड एसी 480हाला कि लॉर्ड डुनेडिन ने स्पष्ट रूप से इसे खारिज नहीं

कियालेकिन यह देखते हुए सामग्री को आराम दिया कि वह निर्णय बोर्ड पर बाध्यकारी नहीं था लेकिन उन्होंने इस सिद्धांत को इस प्रकार तैयार किया- 'पंचाट के सामने कानून में त्रुटि का मतलब है जोकि आप पंचाट या वास्तव में उसमें शामिल किये गये दस्तावेज़ में पा सकते हैं उदाहरण के लिएएक नोट मध्यस्थ द्वारा अपने फैसले के कारणों को बताते हुए कुछ कानूनी प्रस्ताव जो पंचाट का आधार है और उन्हे आप उक्त आधार पर गलत कह सकते है। इसका मतलब यह नहीं है कि यदि किसी कथानक में किसी पक्ष के विवाद का संदर्भ है जो यह प्रकट करता हो कि विवाद क्या है और अनुबंध यह बताता हो कि पार्टियों के अधिकार किस पर निर्भर करते हैं वह विवाद सही है"।

प्रिवी काउंसिल ने यह कहते हुए फैसले को बरकरार रखा कि यह कहना असंभव है कि निर्णय में क्या गलती थी जो मध्यस्थों ने की थी क्योंकि उन्होंने खुद को किसी भी कानूनी सिद्धांत से नहीं बांधा था जो कि अनुचित था। केवल यह तथ्य कि न्यायालय ने मध्यस्थ की तुलना में किसी दस्तावेज़ को अलग तरीके से समझा होगा, न्यायालय को हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित नहीं करेगा जब तक कि मध्यस्थ द्वारा दिया गया निर्णय ऐसा ना हो जो सुस्थापित सिद्धांतों के विरुद्ध हो। (केलंटन बनाम डफ डेवलपमेंट कंपनी,1923 एसी)

जियाकोमो कोस्टा फू एंड्रिया बनाम में लैंडौएर 1905 (2) केबी 184 और एफआर अबशालोम, 1933 एसी 592 डिप्लॉक एलजे सहित बड़ी

संख्या में पहले के निर्णयों के एक स्पष्ट विश्लेषण ब्रिटिश इटालियन ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (1962) 2 सभी ईआर 53 ने अपना निष्कर्ष इस प्रकार दर्ज किया:

> "इसलिएमुझे ऐसा लगता है कि मामलों पर ऐसा कोई भी नहीं है जो हमें यह मानने के लिए मजबूर करता है कि यह केवल एक संदर्भ है पंचाट में अनुबंध हमें अनुबंध को देखने का अधिकार देता है। ऐसा हो सकता है कि विशेष मामलों में अनुबंध के किसी विशेष खंड का एक विशिष्ट संदर्भ अनुबंधया उसके उस खंड को पंचाट में शामिल कर सकता है। मुझे लगता है कि हमइस मामले में पहले सिद्धांतों पर वापस ले जाया जाता है, अर्थातएक पंचाट को केवल उस त्रुटि के लिए अलग रखा जा सकता है जो उसके सामने है। यह सच है कि एक पंचाट एक अन्य दस्तावेज़ को शामिल कर सकता है ताकि कोई उस दस्तावेज़ को पढ़ने का हकदार हो सके। पंचाट औरउन्हें एक साथ पढ़ने पर पंचाट के चेहरे पर एक त्रुटि मिलती है"।

यह प्रश्न कि क्या किसी अनुबंध या उसके किसी खंड को पंचाट में शामिल किया गया है पंचाट के निर्माण का प्रश्न है। परीक्षण यह है कि क्या मध्यस्थ अनुबंध के शब्दों पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। यदि वह ऐसा करता हैतो यह कहा जा सकता है कि उसने अनुबंध या उसमें एक

खंडजो भी मामला होशामिल किया है। लेकिन पंचाट में अनुबंध के केवल सामान्य संदर्भ को शामिल करने के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। पंचाट में अनुबंधों या अन्य दस्तावेजों को पढ़ने के सिद्धांत को प्रोत्साहित या विस्तारित नहीं किया जाना है। (बाबू राम बनाम नन्हेमल सीए नंबर 107 ऑफ़ 1966 डी/- 5-12-1968 (एससी))। इस प्रकार नियम यह है कि चूंकि पक्ष अपने बीच के विवाद में न्यायाधीश के रूप में अपने स्वयं के मध्यस्थ को चुनते हैं इसलिए जब निर्णय प्रथम दृष्टया अच्छा होता हैतो वे कानून या तथ्यों के आधार पर निर्णय पर आपत्ति नहीं कर सकते हैं। इसलिएभले ही कोई मध्यस्थ कानून में या वास्तव में उसे संदर्भित मामलों का निर्धारण करने में कोई गलती करता है लेकिन ऐसी गलती निर्णय के सामने या उसके साथ संलग्न या शामिल किए गए दस्तावेज़ में दिखाई नहीं देती है ताकि उसका हिस्सा बन सके। इसमें सेगलती के बावजूद पंचाट न तो माफ किया जाएगा और न ही रद्द किया जाएगा।

ऊपर बताए गए सिद्धांत के आलोक में निर्धारण के लिए पहला प्रश्न यह है कि क्या पंचाट में कोई स्पष्ट त्रुटि हैइस अर्थ में कि मध्यस्थ ने बिक्री के अनुबंधों को गलत समझा जैसे कि वे अनुबंध बिक्रीनोटों के साथ-साथ कई पत्रों में भी शामिल थे, उन्होंने कंपनी और महानिदेशक निपटान और उनके अधिकारियों के बीच हुए पत्राचार की उपेक्षा करते हुए बिक्री नोटों को केवल बिक्री के अनुबंधों के रूप में माना। ऐसा प्रश्न निस्संदेह कानून का प्रश्न होगा लेकिन मध्यस्थ को भेजे गए विवादों में तथ्य और

कानून दोनों के विवाद शामिल थे। आमतौर पर मध्यस्थ का निर्णयभले ही वह कानून के प्रश्न पर हो पार्टियों के लिए बाध्यकारी होगा। न्यायालय केवल तभी हस्तक्षेप करेगा यदि मामला विलियम्सजे. द्वारा (1857) 3 सीबी (एनएस) 189 में उल्लिखित अपवादों के अंतर्गत आता है और 1962 (2) सभी ईआर 53 में डिप्लॉक, एलजे द्वारा पुनः पुष्टि की गई है।

अपीलकर्ताकंपनी को तीनों अलग-अलग बिक्री हुईजो उत्तरदाताओं के अनुसार बिक्रीनोट संख्या 160, 161 और 197 में शामिल की गई थी। 11 जुलाई, 1946 को बिक्रीनोट 160 जारी होने से पहलेयह यह एक तथ्य है कि कंपनी ने 10 जुलाई 1946 को एक पत्र लिखा था जिसका महानिदेशक निपटान के दो अधिकारियों ने भी समर्थन किया था। पत्र में तीन खंड थे जिनमें से पहले में कहा गया था कि मैसर्स एलन बेरी मोरन व्हीकल्स डिपो को यथा स्थिति में रु. 1,80,00,000/- में खरीदेंगे। "। दो अन्य खंडों में बिक्री मूल्य के भुगतान का तरीका और समय प्रदान किया गया। लेकिन पत्र की शुरुआत निम्नलिखित शब्दों से हुई-

> "शर्तों का विस्तृत रिकॉर्ड कल लंबित है, समझौते के व्यापक प्रमुख निम्नलिखित हैंजो अधिशेष वाहनों की बिक्री का आधार बनेंगे। "अगले दिन दिनांक 11 जुलाई, 1946 कोविभाग ने बिक्री जारी कीनोट 160, जिसमें स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि जो खरीदा गया था वह "मोरन डिपो में पड़े

सभी वाहन और ट्रेलर"थे, जिसका मतलब था कि बेचे गए वाहन केवल वही थे जो वास्तव में 11 जुलाई 1946 को उस डिपो में पड़े थेन कि बाहर यह या जो उस डिपो के रिकॉर्ड में दर्ज हैं जैसा कि कंपनी ने तर्क दिया है। हालाँकि ट्रायल कोर्ट के फैसले (पैरा 206) से ऐसा प्रतीत होता है कि सेल-नोट 160 की प्राप्ति परकंपनी ने 11 जुलाई, 1946 को एक पत्र लिखा था जिसमें उसने तर्क दिया था कि "हमने मोरम का पूरा वाहन डिपो खरीद लिया है।""ऐसा प्रतीत होता है कि इस मतभेद को देखते हुए 23 जुलाई, 1946 को पार्टियों के प्रतिनिधियों की एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसका विवरण असम नियंत्रक, यू एस ए एस एस द्वारा दर्ज किया गया था,इस प्रकार (2) (ए) मे बेचे गए वाहनों और ट्रेलरों में वे सभी वाहन शामिल माने जाते हैं जो जुलाई को मोरन डिपो में रखे गए थे या होने चाहिए थे, वे भी जो हैं एक ज्ञापन रसीद पर निम्नानुसार जारी किया गया है।

(I) अमेरिकियों के लिए जिन्हें उनके द्वारा विभिन्न शिविरों और डिपो में छोड़ दिया गया है और अभी तक हमारे द्वारा नहीं लाया गया है।

(ii) यूएसएएसएस संगठन की सहायता करने वाली सैन्य इकाइयों को मेमोरेंडम रसीद पर जारी किए गए वाहन।

(iii) कोई भी अधिशेष वाहन मूल रूप से यूएस ए एस एस इकाइयों को आवंटित किया गया था परिचालन उद्देश्यों के लिए और अब उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है।

दिनांक 17 सितंबर, 1946 को नई दिल्ली से कलकत्ता को एक सेक्राफोन संदेश भेजा गया था जिसमें कहा गया था " हमने अमेरिकी सेना के अधिशेष वाहनों को बेच दिया है जिनके बारे में माना जाता है कि वे मोरन सूची में हैंजो वास्तव में मोरन वाहन डिपो में हैं या जिन्हें उस डिपो में ले जाने का इरादा था, जिसका उद्देश्य असम क्षेत्र में अधिशेष अमेरिकी वाहनों के लिए पार्किंग डिपो होना था। " 26 सितंबर 1946 को महानिदेशकडिस्पोजल ने कंपनी को लिखा कि असम में आपको बेचे गए वाहन वास्तव में मोरन वाहन डिपो में अमेरिकी सेना के अधिशेष वाहन हैं या जिन्हें मोरन वाहन डिपो में ले जाने का इरादा था। किसी भी मोबाइल इंजीनियरिंग उपकरण, जैसे मोबाइल क्रेन, ट्रैक किए गए ट्रैक्टर को आपको बिक्री से बाहर रखा गया है।" 10 दिसंबर, 1946 कोनियंत्रक ने इसके संबंध में एक रिलीज आदेश जारी किया-

1. 10 जुलाई 1946 को मोरन डिपो में पड़े सभी वाहन और ट्रेलर, जिनमें सभी यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी सरप्लस स्टोर्स शामिल थे, मोरन डिपो के भीतर पड़ी भूमि और इमारतों को छोड़करसंयुक्त राज्य अमेरिका सरकार से भारत सरकार को हस्तांतरित कर दिए गए थे।

2. कलकत्ता और असम में परिचालन उपयोग में आने वाले वाहन जब यूएसएएसएस संगठन द्वारा आवश्यक नहीं रह जाते हैं ।

अधिवक्ता द्वारा सवाल उठाया है कि बिक्री के अनुबंध के दायरे और सामग्री पर विचार करते समय इन सभी दस्तावेजों पर विचार करने के लिए और केवल बिक्रीनोट संख्या 160, दिनांक 11 जुलाई, 1946 पर भरोसा कियाकि अनुबंध अकेले उक्त नोट 160 में शामिल नहीं थाइसलिएउन्होंने अनुबंध को गलत समझा और वह गलत निर्माण जो कि कानून का एक बिंदु है, पंचाट के चेहरे पर स्पष्ट हैक्योंकि इसे पंचाट का आधार बनाया गया था। मध्यस्थ द्वारा उठाए गए पहले तीन मुद्दे ये थे-

(1) क्या अपीलकर्ता यह साबित करने का हकदार था कि सेल-नोट्स में उल्लिखित वाहनों, दुकानों आदि के अलावा कोई भी वाहनस्टोर आदि उसे बेचे गए थे।

(2) क्या सरकार बिक्री के अनुबंधों की विषय वस्तु के संबंध में विभाग के किसी भी अधिकारी या अधिकारियों द्वारा दिए गए या दिए गए स्पष्टीकरण अभ्यावेदन स्पष्टी करण या आश्वासनों से बंधी थी, सिवाय बिक्रीनोटों में निहित लोगों को छोड़कर।

(3) क्या सरकार ने 11 जुलाई 1946 को मोर न डिपो में पड़े वाहनों को छोड़ कर या वहां ले जाने के इरादे वाले वाहनों को छोड़कर कोई वाहन बेचा है।

इस प्रकार पार्टियों के बीच विवाद स्पष्ट रूप से यह था कि जबकि कंपनी ने दावा किया था कि बिक्री मोरन डिपो के रिकॉर्ड पर मौजूद सभी वाहनों की थी, भले ही वे वास्तव में 11 जुलाई 1946 को वहां पड़े थे या नहीं। सरकार ने दावा किया कि कंपनी वास्तव में डिपो में पड़े हुए उन वास्तविक वाहनो के लिए हकदार थी। उत्तरदाताओं के अनुसारबिक्री का अनुबंध बिक्रीनोट में पाया जाना थाइसलिएविभाग के किसी भी अधिकारी या अधिकारियों द्वारा दिए गए किसी भी बाद के स्पष्टीकरण या आश्वासन अनुबंध की अवधि को बदल नहीं सकते थे। ये स्पष्टीकरण और आश्वासन केवल उसे की गई बिक्री के दायरे और सीमा के सवाल पर कंपनी की गलतफहमी को दूर करने के लिए दिए गए थे।

मध्यस्थ ने पंचाट में बिक्री नोट 160 और 197 का हिस्सा निर्धारित किया और फिर देखा

> "इन बिक्री पत्रों में इस्तेमाल की गई भाषा मेरे विचार से पूरी तरह से स्पष्ट है और बिक्री पत्रों में निर्दिष्ट स्थानों के बाहर किसी भी वाहन ट्रेलरों या स्टोरों को दो बिक्री मे शामिल किये जाने की संभावना नहीं है। यह तर्क कि उनमें वास्तव में एक मामले में असम और दूसरे में बंगाल क्षेत्र के सभी वाहन स्टोर शामिल हैं, पूरी गंभीरता से पेश किया गया है और इसके समर्थन में मौखिक और दस्तावेजी दोनों साक्ष्यों का एक अच्छा सौदा पेश किया गया है या इस तरह

के विवाद के खिलाफ। पार्टियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भी इस बिंदु पर काफी विस्तार से बहस की गई है। मैंने पूरे मामले पर सबसे गंभीरता से विचार किया है और मेरा विचार है कि दो बिक्री कार्यों की भाषा के अलावा यह इसके खिलाफ है, ऐसा विवादसाक्ष्य भी समग्र रूप से माना जाता है, इसका समर्थन नहीं करता है। तदनुसारमेरा मानना है कि असम के मामले में दावेदारों को बेचे गए स्टोर वास्तव में 10 जुलाई, 1946 को मोरन डिपो में स्थित थे और बंगाल के मामले में वे वास्तव में जोधपुर और 31 जुलाई को बिक्री पत्र में निर्दिष्ट अन्य डिपो में स्थित थे।

"निपटान विभाग के किभी सी अधिकारी द्वारा मौखिक व लिखित रूप से दिए गये कथित स्पष्टीकरण की मेरे द्वारा बहुत सावधानी से जांच की गई है और मेरी राय है कि न तो वेसमग्र रूप से विचार किए जाने परदावेदारों द्वारा की गई व्याख्या के लिए सक्षम हैं और न ही उत्तरदाता उनसे बंधे हैं। वे कानून के अनुरूप नहीं हैं और उत्तरदाताओं को बाध्य करने वाले कानूनी अनुबंध के बराबर नहीं हैं।"

ये अंश स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि मध्यस्थ ने बिक्रीनोटों के अलावामौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों पर भी विचार किया था। पक्षकारों के साथ-साथ कंपनी के अधिवक्ता द्वारा उनके संबंध में तर्क प्रस्तुत किए गए।

इसलिएइस तर्क को बरकरार रखना असंभव है कि विभिन्न दस्तावेज, कंपनी का पत्र दिनांक 10 जुलाई, 1946 बाद के पत्राचार, मिनट्स सेल-नोट 160 जारी होने के बाद हुई बैठकों आदि पर मध्यस्थ ने अपने निष्कर्ष पर पहुंचते समय ध्यान नहीं दिया कि वास्तव में कंपनी को क्या बेचा गया था।

अन्य विवादों के बीच मध्यस्थ को संदर्भित किया गया और इसमें शामिल पक्षों की दलीलों पर मुद्दों के रूप में उनके द्वारा क्रस्टस्टॉल किया गयाजैसा कि पहले ही कहा गया है किपहला प्रश्न यह है कि क्या बेचा गया था, दूसरा उससे उत्पन्न होने वाला प्रश्न, क्या उक्त बिक्रीनोट्स 160 के अलावा और 197, बाद के स्पष्टीकरण सरकार पर बाध्यकारी थे। निःसंदेहये कुछ हद तक तथ्य और कुछ हद तक कानून के प्रश्न थे लेकिन तथ्य और कानून दोनों के प्रश्न मध्यस्थ को भेजे गए थे और प्रथम दृष्टया उन पर उनके निष्कर्ष पार्टियों को बाध्य करेंगेजब तक किजैसा कि पहले बताया गया है, मध्यस्थ ने कोई कानूनी प्रस्ताव नहीं रखा हैजैसे कि एक निर्माण जिसे पंचाट का आधार बनाया गया है और पंचाट की दृष्टि से यह एक त्रुटि है।

मुद्दा ये है कि क्या ये कोई ऐसा मामला है, यह सच है कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां कानून के प्रश्न का विशेष रूप से उल्लेख किया गया हो। यह स्पष्ट रूप से 1923 एसी 395 जैसे मामलों की श्रेणी में आने वाला मामला है, जहां रेफर किए गए प्रश्नों का निर्णय लेने में मध्यस्थ को कानून

का एक बिंदु तय करना होता है। ऐसा करने मेंनिस्संदेह मध्यस्थ ने कानूनी प्रस्ताव रखा कि किसी अधिकारी या विभाग के अधिकारियों द्वारा उक्त बिक्रीनोटों की तारीखों के बाद दिए गए स्पष्टीकरण या आश्वासन उत्तरदाताओं पर बाध्यकारी नहीं थे और न ही वे प्रभावित कर सकते थे। बिक्री का दायरा वह उत्तर देने का हकदार मध्यस्थ था। लेकिन तथ्य यह है कि उन्होंने एक कानूनी बिंदु का उत्तर दिया हैइसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने पंचाट में शामिल किया है या पंचाट का हिस्सा एक दस्तावेज़ या दस्तावेज बनाया हैजिसका निर्माणसही या गलत पंचाट का आधार है। ऐसे मामले में त्रुटियदि कोई हो तो पंचाट के प्रथम दृष्टया स्पष्ट त्रुटि नहीं कहा जा सकता हैजो अदालत को मध्यस्थ के समक्ष साक्ष्य के रूप में रखे गए विभिन्न दस्तावेजों पर विचार करने का अधिकार देती हैलेकिन उन्हें पंचाट में शामिल नहीं किया गया है ताकि वे इसका हिस्सा बन सकें और फिर यह खोज करना कि क्या उसके द्वारा उनका गलत अर्थ लगाया गया है। यहहमारी समझ मेंहमारे सामने रखे गए निर्णयों से उभरने वाला सही सिद्धांत है। किसी भी घटना मेंयह ऐसा मामला नहीं है जहां मध्यस्थ नेलॉर्ड डुनेडिन के शब्दों में,"खुद को एक कानूनी प्रस्ताव में बांध लिया " जो कि पंचाट की दृष्टि से अनुचित था। पंचाट इतने सारे शब्दों में यह स्पष्ट करता है कि उन्होंने अधिवक्ता द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों सहित पूरे सबूतों को ध्यान में रखा और उसके बाद केवल इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इसने कंपनी को बिक्री के दायरे के बारे में अपने विवाद में सहायता नहीं

की। इसलिए श्री अग्रवाल द्वारा उठाए गए तर्क 1 और 2 को बरकरार नहीं रखा जा सकता।

विवाद संख्या 3 उन 547 वाहनों से संबंधित हैजिनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें सेल-नोट 197 दिनांक 2/6 अगस्त के तहत कंपनी को बेचा गया था। 1946. इसमें कोई विवाद नहीं है कि कंपनी ने इन वाहनों में से 291 वाहनों को हटा दिया और आरोप लगाया कि शेष 256 वाहनों की डिलीवरी रोक दी गई। कंपनी ने इन 256 अवितरित वाहनों की कीमत के लिए दावा संख्या VI का दावा किया। उत्तरदाताओं का तर्क था कि कंपनी को बिक्री केवल यूएसए सरप्लस स्टोर्स तक ही सीमित थी, ये वाहन उस श्रेणी में नहीं आते थेबल्कि यूएसए और भारत के बीच एक समझौते के तहत भारत सरकार से संबंधित रिवर्स। इन आरोपों पर उत्तरदाताओं ने प्रतिदावा संख्या VI पेश करते हुए दावा किया कि कंपनी द्वारा स्वीकार किए गए 291 वाहनों की कीमत तब हटा दी गई थी जब वे जोधपुर डिपोकलकत्ता में पड़े थे। मध्यस्थ ने पाया कि अभिव्यक्ति "रिवर्स लैंड लीज" उक्त समझौते में उल्लिखित पारस्परिक सहायता लेखों से संबंधित है। उस समझौते के अनुसार एक पारस्परिक सहायता लेख का मतलब उस समझौते के पैरा 4- सी के तहत पारस्परिक सहायता के द्वारा अमेरिकी सरकार को हस्तांतरित एक लेख था। ऐसा माना जाता है कि 2 सितंबर, 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार ने ऐसे लेखों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया था, सिवाय इसके कि भारत में प्रतिष्ठानों में शामिल ऐसे

पारस्परिक सहायता लेखों को उस तारीख से भारत सरकार को वापस कर दिया गया माना जाता था जब अमेरिकी सेना ने ऐसे लेखों पर कब्जा छोड़ दिया था। उनके सामने प्रस्तुत किए गए आविष्कारों से मध्यस्थ ने माना कि इन 547 वाहनों को भारत में प्रतिष्ठानों में शामिल किया गया बलों द्वारा उन प्रतिष्ठानों पर कब्ज़ा छोड़ने के बाद उनका सरकार में निहित था, इसलिए उन्हें यूएस सरप्लस स्टोर्स के रूप में नहीं माना जा सकता हैजो अकेले बिक्री नोट 197 का विषय थे और हो सकते हैं। परिणामतः कंपनी उक्त 291 वाहनों को हटाने की हकदार नहीं थीजो उसने किया, कंपनी दावा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। उसने आरोप लगाया कि 256 वाहनों का मुआवजा उसे नहीं दिया गया। परिणाम में मध्यस्थ ने सरकार के प्रतिवाद संख्या VI को अनुमति दे दीजो कंपनी द्वारा जोधपुर डिपो से अनधिकृत रूप से हटाए गए 291 वाहनों की कीमत के लिए था।

पंचाट के इस भाग के संबंध में तर्कसबसे पहले यह था कि मध्यस्थ के निष्कर्ष ख़राब थे क्योंकि सबूतों की पूरी कमी थी जिस पर उन्हें आधारित किया जा सकता था, दूसरी बात यह कि किसी भी स्थिति में मध्यस्थ के पास प्रतिदावा संख्या VI के संबंध में सरकार को मुआवजा देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। तर्क के पहले भाग में हमें उलझने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह निष्कर्ष कि ये वाहन पारस्परिक सहायता लेखों का हिस्सा थे जिसका स्वामित्व भारत सरकार में निहित था इसलिए यू

एस ए एस एस नहीं था। दोनों सरकारों और आविष्कारों के बीच समझौते पर आधारित था। मध्यस्थ के सामने पेश किया गया जिससे वह यह मान सके कि वे उस तारीख के थे, जब जिन प्रतिष्ठानों में उन्हें शामिल किया गया उन्हें अमेरिकी सेना द्वारा छोड़ दिया गया इसलिए वे बिक्री का विषयवस्तु नहीं बन सकते थे- नोट 197 जो केवल यूएस सरप्लस स्टोर्स से संबंधित है।

हालाकि तर्क के दूसरे भाग पर विचार की आवश्यकता है। सवाल यह है कि क्या मध्यस्थता खंड में कंपनी द्वारा अनधिकृत रूप से हटाए गए उक्त 291 वाहनों के संबंध में मुआवजे से संबंधित विवाद शामिल है। अनुबंध की सामान्य शर्तों का खंड 13 जो पहले उद्धृत किया गया है, "इन शर्तों के तहत उत्पन्न होने वाले "या "इस अनुबंध के संबंध में"सभी प्रश्नों या विवादों के मध्यस्थता के संदर्भ में प्रदान करता है।

डॉ. सिंघवी ने हमें इन शर्तों के खंड 10 का भी उल्लेख कियालेकिन यह स्पष्ट है कि यह किसी भी तरह से मुआवजे से संबंधित विवाद पर लागू नहीं हो सकता है। लेकिन "इन शर्तों के तहत उत्पन्न होने वाले"और "इस अनुबंध के संबंध में"शब्द निस्संदेह व्यापक हैं। फिर भीयह एक प्रश्न है कि क्या कंपनी द्वारा इन वाहनों के अनधिकृत विनियोजन के आधार पर मुआवजे का विवाद खंड 13 के अंतर्गत आता है। विद्या सागर जोशी नाथ गौतम एआईआर 1969 एससी

288 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 में प्रयुक्त शब्द "चुनाव के संबंध में व्यय"का अर्थ "संबंधित होना"माना गया। एक मध्यस्थता खंड जिसमें "अनुबंध के संबंध में या उसके संबंध में"शब्दों का अर्थ एक ठेकेदार द्वारा उठाए गए विवाद पर विचार नहीं करना था कि वह इस आधार पर अनुबंध से बच सकता है कि यह एक धोखाधड़ी वाली गलत बयानी द्वारा प्राप्त किया गया था। (मोनरो बनाम बोग्नोर शहरी जिला परिषद , 1915 (3) केबी 167) लेकिन इसे हटाने में उचित परिश्रम के खंड के विरुद्ध वादी के फर्नीचर को हटाने में प्रतिवादी की ओर से लापरवाही के आधार पर नुकसान के दावे को मध्यस्थता खंड के अंतर्गत माना गया था। (वुल्फ्फ्फ्फ वनाम को म कोलिस रिमूवल सर्विस , (1947) 2 ऑल ईआर 260)

अधिवक्ता ने माना कि बिक्रीनोट 197 की व्याख्या के संबंध में विवाद मध्यस्थता खंड के अंतर्गत आएगा यदि ऐसा हैतो इसका मतलब यह होना चाहिए कि मध्यस्थ यह निर्णय लेने में सक्षम था कि उक्त 547 वाहन सेलनोट के दायरे में आते हैं या नहीं। यदि उस प्रश्न का निर्धारण करने में वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो स्पष्ट निष्कर्ष यह होगा कि कंपनी डिपो से उसके द्वारा हटाए गए 291 वाहनों को वापस लेने

की हकदार नहीं थी। यदि कंपनी ने ऐसा कियातो क्या ऐसे वाहनों की वापसी या बदले में मुआवजे का प्रश्नजिनकी वह बिक्री के तहत हकदार नहीं थी।एक ऐसा प्रश्न है जो अनुबंध से या उसके संबंध में उठता है, अधिवक्ता ने यहां तक कहा कि कंपनी के दावे संख्या VI और सरकार के प्रतिदावा संख्या VI पर निर्णय लेने में मध्यस्थ यह तय कर सकता है कि कंपनी इन वाहनों की हकदार नहीं हैलेकिन वह अगला कदम भी नहीं उठा सकता। उन्हें वापस करने या उन वाहनों के बदले मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दे। हमारी राय में इस तरह के तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता इसका कारण यह है कि एक बार जब यह पाया जाता है कि वह इस विवाद का फैसला करने में सक्षम था कि क्या उक्त 547 वाहन बिक्री का विषय नहीं थे और उनमें से 291 को अनधिकृत रूप से हटा दिया गया थातो उसे संबंधित पक्षों के बीच न्याय करना होगा उसे संदर्भित विवादों के बारे में कंपनी को आदेश दें कि या तो उन्हें वापस कर दिया जाए या उनके लिए मुआवजा दिया जाए। चूँकि इतने वर्षों के बाद पहला कोर्स संभव नहीं थाइसलिए दूसरा ही एकमात्र और स्पष्ट कोर्स था। उत्तरदाताओं द्वारा उठाया गया विवाद कि 291 वाहन बिक्री में शामिल नहीं थे इस विवाद के विस्तारित और जुड़ा हुआ था कि यदि यह पाया गया कि वे बिक्री के दायरे में नहीं आते हैं तो कंपनी उन्हें वापस करने के लिए बाध्य थी। इस तर्क पर यह कहना संभव नहीं है कि अंपायर ने कंपनी के दावे संख्या VI को

खारिज करने या उत्तरदाताओं के संबंधित प्रतिदावा संख्या VI को स्वीकार करने में अपने अधिकार क्षेत्र से परे चला गया।

22.विवाद 4 उन 600 वाहनों से संबंधित है जिन्हें परिचालन उद्देश्यों के लिए मोरन डिपो से बाहर ले जाया गया थालेकिन कंपनी ने दावा किया था कि वे सेल-नोट 160 के तहत बिक्री का हिस्सा थे। मध्यस्थ ने माना कि (1) ये परिचालन प्रयोजनों के लिए डिपो से बाहर ले जाए गए वाहन बिक्री के दायरे में नहीं आते थे,(2) वैकल्पिक रूप सेसबूतों से पता चला कि परिचालन उपयोग में आने वाले वाहनों की एक बड़ी संख्या कंपनी को वितरित की गई थी, भले ही इसे सख्ती से कहा जाए, वे उनके हकदार नहीं थे क्योंकि वे 10 जुलाई 1946 को डिपो में नहीं पड़े थे। मध्यस्थ ने आगे कहा कि यदि उनमें से कुछ को संभवतः नहीं सौंपा गया थातो उत्तरदाताओं ने कई गैर-परिचालन वाहनों को सौंपकर कंपनी को पर्याप्त मुआवजा दिया था। डिपो के बाहर के लिए कंपनी हकदार नहीं थी। अधिवक्ता ने तर्क दिया कि फैसले का यह हिस्सा अस्पष्ट था और इसके समर्थन में कोई सबूत नहीं था, इसलिए मध्यस्थ ने इस संबंध में मध्यस्थ की तुलना में सुलहकर्ता की तरह अधिक व्यवहार किया।

यह मानते हुए कि बिक्रीनोट 160 केवल उन वाहनों को कवर करता है जो वास्तव में 10 जुलाई, 1946 को मोरन डिपो में पड़े थे, यह मध्यस्थ पर निर्भर नहीं था कि वह बाहर परिचालन वाले वाहनों की संख्या तय करे। परिणाम अगर वह संतुष्ट था कि भले ही कंपनी उसके द्वारा दावा किए

गए उक्त 600 वाहनों की हकदार नहीं थीफिर भी अधिकारियों ने उनमें से पर्याप्त संख्या में वितरित कर दिया थाऔर किसी भी कमी के लिए गैर-परिचालन वाहनों को भी वितरित कर दिया था तो कोई समस्या नहीं होगी। कंपनी को सौंपे गए वाहनों के विवरण में जाने का कि ट्रायल कोर्ट के फैसले से पता चलता है (पैरा 223), मौखिक और दस्तावेजी दोनों तरह से सबूत थे कि कंपनी ने डिपो के बाहर स्थानों पर पड़े कई वाहनों को एकत्र किया था और एकत्र किए गए वाहनों को कंपनी द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। फिर भी कंपनी ने उन रिकॉर्ड्स का उत्पादन रोक दिया था। इन तथ्यों को देखते हुए यह कहना असंभव है कि मध्यस्थ ने बिना सबूत के कार्य किया थाकि उसने सुलहकर्ता के तरीके से व्यवहार किया थाया अनुमानों पर निष्कर्ष निकाला था।

ग्राउंड रेंट के सवाल पर हमारा हस्तक्षेप इस आधार पर आमंत्रित किया गया था कि इस तरह के किराए की राशि मध्यस्थ द्वारा बिना किसी सबूत के तय की गई थी। इस विवाद में कोई दम नहीं है। वे स्थानजिन पर विभिन्न डिपो स्थित थे, सरकार द्वारा भारत की की रक्षा नियमों के तहत मांगे गए थे इसलिएसरकार का वैधानिक दायित्व था कि वह उन साइटों के मालिकों को उन नियमों के अनुसार मुआवजा दे। बिक्री के अनुबंधों के तहत कंपनी सरकार को ज़मीन का किराया और अन्य शुल्क देने के लिए बाध्य थी जिसे सरकार भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थी इसलिएयह कहना सही नहीं है कि मध्यस्थ केवल वही राशि दे सकता

है जो सरकार ने वास्तव में भुगतान किया था इसलिए मध्यस्थ को सरकार से हिसाब लेना चाहिए था। कंपनी का ऐसा मामला कभी नहीं था कि सरकार ने उस मुआवजे से अधिक जमीन का किराया दावा किया था जो उसे भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था।

आखिरी आपत्ति यह थी कि मध्यस्थ द्वारा उत्तरदाताओं को दी गई लागत की राशि अनुपातहीन थी। फैसले से ऐसा प्रतीत होता है कि मध्यस्थ ने संबंधित पक्षों के अधिवक्ता द्वारा उनके सामने पेश की गई सुनवाई के दौरान पक्षों द्वारा किए गए खर्चों के विवरण पर विचार करने के बाद लागत की राशि तय की। पक्षकारों द्वारा दावा की गई भारी रकमउनके द्वारा पेश किए गए मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों की मात्राउन साक्ष्यों को दर्ज करने और मामले पर बहस करने में लगे दिनों की संख्या को ध्यान में रखते हुएहम यह कहने के लिए तैयार नहीं हैं कि मध्यस्थ का विवेकाधिकार क्या है। खर्चे के मामले में किया गया न्यायिक विवेक का प्रयोग किसी भी कानूनी प्रावधान के उल्लंघन में या अनुचित तरीके से नही किया गया था जिसमेन्यायालय का हस्तक्षेप उचित ठहराया जा सकता हो।

हमारे विचार में अधिवक्ता द्वारा सुझाव किये गए छह तर्कों में से किसी को भी बरकरार नहीं रखा जा सकता है। परिणामतः यह अपील विफल की जाती है और जुर्माने के साथ खारिज की जाती है।

अपील खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी माधवी दिनकर (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित कि या गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं कि या जासकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा ।

***